न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01 / 2023	16.06.2023	13-6-2025

रतन पुत्र भूरा, माली निवासी बिदरख्या तह० गंगापुर सिटी —अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बाढकलॉ तह० गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 295 दि० 05.09.1998 ग्राम बिदरख्या

उपस्थित :—श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.07.1996 को हीरा व रामकिशन पुत्रान रघुनाथ जाति माली निवासी विदरख्या से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख०न० 103 रकबा 0.49 है०, ख०न० 104 रकबा 0.15 है० मे से 16 एयर भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इसी प्रकार ख०न० 103 व 104 मे से खातेदार लक्ष्मण पुत्र गेन्दया माली के हिस्से की 16 एयर भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी। इस क्रयशुदा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के खातेदार कन्हैया व हजारी पुत्रान गेन्दया द्वारा अपने हिस्से की 16—16 एयर कुल 32 एयर भूमि अपीलार्थी की पत्नी तुलसी को विक्रय कर दी। अपीलार्थी ने भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु राजस्व कर्मचारियों को विक्रय पत्र की फोटोकॉपी दी थी परन्तु उन्होने बिना पढे व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि से अधिक का नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक मे खोल दिया। इसकी जानकारी होने पर राजस्व कर्मचारियों ने उक्त भूल को सुधारने हेतु एक निगरानी उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कन्हैया वगैरा मुकदमा नम्बर 37 / 2002 न्यायालय ए०डी०एम० साहब सवाई माधोपुर कैम्प गंगापुर सिटी के यहॉ प्रस्तुत की। जिसे माननीय अतिरिक्त जिलाकलक्टर द्वारा दिनांक 28.8.2002 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 5.9.1998 निरस्त कर[illegible] अनुशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर कर [illegible] दिनांक 25.10.2012 को निगरानी खारिज की गई तथा उसमें यह कथन [illegible] गया अगर विक्रयपत्र के अनुसार नामान्तरकरण नहीं खोला गया है तो [illegible]क्षकारान सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का क्रयशुदा स्वामी है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रतन बनाम ग्राम पंचायत बाढकलां व अन्य, अपील नामान्तरकरण

में अंकित नहीं हो पाया है। इस कारण अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा कृषकों के लिए जारी योजनाओं को लाभ नहीं उठा पा रहा है व अपीलार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। अपीलार्थी को उक्त विवादित नामान्तरकरण की जानकारी नकल आदि लेने से हुई है। इस कारण अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है किन्तु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 5.9.1998 ग्राम पंचायत बाढकलां बाबत् भूमि ख0नं0 103 रकबा 0.49 है0 व ख0नं0 104 रकबा 0.15 है0 ग्राम विदरखा तहसील गंगापुर सिटी को निरस्त फरमाया जावे व अपीलार्थी की क्रयशुदा भूमि के मुताविक अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किए जाने के आदेश पारित किए जावें।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 5.9.1998, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 404 विदरखा, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 31.7.1996, फोटोकोपी विक्रयपकत्र दिनांक 2.7.1996 आदि प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से ग्राम विदरखा का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 5.9.1998 की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई है।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीदी गई भूमि का नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। नकल विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1996 के अनुसार खातेदार हीरया व रामकिशन पुत्र रघुनाथ जाति माली ने अपीलार्थी रतन को भूमि ख0न0 103 रकबा 49 एयर मे हिस्सा 1/2 व ख0न0 104 रकबा 15 एयर [illegible] हिस्सा 1/2 कुल हिस्से की 16 एयर भूमि विक्रय की है। नकल विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1996 के अनुसार खातेदार लक्ष्मण पुत्र गेन्दया जाति माली ने अपीलार्थी रतन को भूमि ख0न0 103 रकबा 49 एयर व ख0न0 104 रकबा 15 एयर मे अपने हिस्से की 16 एयर भूमि विक्रय की है। इन दोनो विक्रय पत्रों का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या दिनांक 05.09.1998 जो खोला गया है। वह हिस्से से ज्यादा का खोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

दिया गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार इसका रेफरेन्स एडीएम साहब के यहाँ होने पर एडीएम साहब सवाई माधोपुर ने नामान्तकरण निरस्त करने की अनुशंषा के साथ रेफरेन्स को राजस्व मंडल अजमेर का रेफर कर दिया परन्तु राजस्व मंडल अजमेर द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण नही खोला गया है तो पक्षकारान सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर सकते है चूकि अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि के अनुसार नही खोला गया है। अतः अपील स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 05.09.1998 ग्राम बिदरख्या निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनकर नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 05.09.1998 ग्राम बिदरख्या पर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। अपीलार्थी सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/6/25 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:05 IST
Reason: SelfAttested